प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 15.03.2026

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तकनीकी के आधार पर ब्लाइंड मर्डर केस का किया गया खुलासा

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 14.03.2026 को हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त बबलू चौहान पुत्र हरहंगी महतो निवासी बसौनापुर थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार राज्य को अजगइबा घाट के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरणः- दिनांक 11.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद ग्राम सभा मोहद्दीनपुर के पास से बहने वाली नहर पर बने पुलिया के नीचे 01 अज्ञात युवती का शव व एक बैग मिला। पुलिस द्वारा शव की पहचान कराने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रयास किए गए, जिसके उपरांत युवती की पहचान उसके परिजनों द्वारा की गई, जो जनपद बस्ती के निवासी है। परिजन द्वारा शव की पहचान होने के बाद दिनाँक 13.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिये गये प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया कि मेरी पुत्री सुमन 02 वर्ष से बाहर रहकर आर्केस्ट्रा में नाचने व गाने का कार्य करती थी तथा कभी कभी घर पर आती-जाती थी। होली के दिन मेरी पुत्री घर पर आयी थी तथा बताई कि कल मेरा सट्टा है मुझे खलीलाबाद जाना है, यह बताकर मेरी लड़की बैग लेकर घर से चली गई उसके बाद मेरा सम्पर्क नही हो पाया। खलीलाबाद मे अज्ञात शव मिलने की सूचना पर मै अपने पति के साथ खलीलाबाद आयी तथा शव की पहचान की जो मेरी पुत्री सुमन का ही है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 159/2026 धारा 61(2),103(1),238 बीएनएस अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 61(2) बीएनएस को विलोपित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
बबलू चौहान पुत्र हरहंगी महतो निवासी बसौनापुर थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार राज्य।

पूछताछ विवरणः-
गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि सुमन मेरी प्रेमिका थी मै उससे लगभग 08 माह से प्यार करता था तथा उसी से शादी करना चाह रहा था उसके साथ बनकटिया के पास किराये पर कमरा लेकर हम दोनो रहते थे। सुमन अक्सर फोन पर बात करती रहती थी, काफी समझाया पर वह फोन पर बात करना नही बंन्द कर रही थी, जिस कारण से मैने सुमन की हत्या का प्लान बना लिया। जब सुमन अपने घर से दिनांक 05.03.2026 को मेरे कमरे पर आयी और हम दोनो अगले दिन दिनांक 06.03.2026 को शाम के सहजनवा के पास तिलक के कार्यक्रम में डांस का प्रोग्राम कर पुनः दिनांक 07.03.2026 को भोर में सहजनवा से बाइक पर बैठाकर बनकटिया वाले कमरे पर लेकर आ रहा था कि मोहद्दीनपुर नहर पुलिया के पास सुनसान देखकर उसका गला दबा दिया जब वह जमीन पर गिर गयी उसके बाद भी मै अपने पैर से पुनः उसका गला दबा दिया, जब मुझे पुरा विश्वास हो गया कि अब यह मर गयी है उसके बाद मैने उसके शव को नहर से नीचे करके पुलिया के अन्दर डाल दिया और उसके बैग जिसमे सिंगार का सामान रखा हुआ था कुछ दूर पर फेक दिया था।

बरामदगी का विवरणः-

- कपड़ा
- सिंगार के समान
- दो जोड़ी जूता
- महिला हैण्डबैग
- आधार कार्ड
- श्रम कार्ड
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल
- अभियुक्त का 01 अदद मोबाइल

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दूबे, वरि0 उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, हे0का0 पप्पू सिंह, का0 संदीप यादव, का0 भूपेन्द्र सिंह।
- एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, का0 अभिषेक कुमार सिंह, का0 विवेक कुमार मिश्रा, का0 विवेक कुमार राय, का0 दीपक कुमार सिंह।
- सर्विलांस सेल का0 ज्ञानसिंह।

हत्या कर पहचान छुपाने की कोशिश, पुलिस की सतर्कता व मुखबिर की सूचना से हत्या का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 14.03.2026 को हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त राहुल चौधरी पुत्र झगरू उर्फ ब्रह्मदेव निवासी हाडापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सिरमोहनी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरणः- दिनांक 13.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर लक्ष्मीचन्द यादव पुत्र स्व0 रामललित यादव निवासी हाड़ापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी माता श्रीमती शारदा देवी उम्र लगभग 60 वर्ष दिनाँक 10.03.2026 को समय करीब 08.00 बजे रात में गाँव के श्री समय माता मन्दिर पर यज्ञ सुनने के लिए गई थी जो घर वापस नहीं आयी। जिसपर दिनाँक 11.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद में गुमशुदगी दर्ज करायी गई थी, मेरी माता का दिनाँक 12.03.2026 को दिन मे मेरे गाँव के नहर के दक्षिण तरफ सरसो के खेत में शव पड़ा हुआ था। मेरी माता शारदा देवी की किसी अज्ञात द्वारा हत्या करके उनके शव को सरसो के खेत में फेक / छोड़ दिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 103(1),238 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 309(6),317(2) बीएनएस को बढोत्तरी किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
राहुल चौधरी पुत्र झगरू उर्फ ब्रह्मदेव निवासी हाडापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पूछताछ विवरणः-
गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मै पहले ट्रक पर रहकर खलासी का काम करता था, अब खलासी का काम छोड दिया हूँ। मै इधर उधर घुमता फिरता रहता हूँ। खर्च के लिए पैसे की आवश्यकता थी, दिनांक 10.03.2026 को मेरे गांव के नहर के दक्षिण के तरफ श्री समय माता का मन्दिर स्थित है जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, जिसमें गांव की काफी महिलाए गयी थी, मै भी मन्दिर पर घूम फिर रहा था, समय रात्रि करीब 11.00 बजे मन्दिर से गांव को जाने वाले नहर पर बने बंधे के पास एक खेत के किनारे जाकर खड़ा हो गया उसी समय मेरे गांव लालचन्द यादव की माँ अपने घर के लिए अकेले जा रही थी, जो अपने कान में सोने की बाली और पैर में चाँदी का पायल पहनी हुई थी, मुझको पैसे की बहुत जरूरत थी तब मैने सोच लिया कि इससे अच्छा मौका नही मिलेगा, मैने लालचन्द की माँ को पकड कर मुंह दबाकर बंधे से नीचे सरसो की खेत में ले जाकर गिरा दिया जो मुझको देखकर पहचान गयी, अपनी पहचान छिपाने के लिये मैने लालचन्द यादव की माँ का गला दबाकर हत्या कर दिया, उसके बाद उसके दोनो कान में पहने हुए सोने की बाली और उसके पैर के पायल को खीचकर वहां से भाग गया। मेरे पास जो गहना है वह उन्ही का है।

अपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 88/2021 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 जोड़ी कान की बाली पीले धातु
- 01 जोड़ी सफेद धातु के पायल चार टुकड़ो में

- 01 अदद मोबाइल अभियुक्त का

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, उ0नि0 श्री हरिकेश बहादुर सिंह, का0 अनिल कुमार बिन्द्रा, हे0का0 सुशील कुमार, का0 बलराम यादव, का0 अरविन्द तिवारी।
- एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, का0 अभिषेक कुमार सिंह, का0 विवेक कुमार मिश्रा, का0 विवेक कुमार राय, का0 दीपक कुमार सिंह।
- सर्विलांस सेल का0 ज्ञानसिंह।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* मु0अ0सं0 79/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता पवन कुमार उर्फ गोलू पुत्र धर्मेन्द्र कुमार निवासी कोटिया थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को इन्दौर रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 07.03.2026 को थाना दुधारा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 15.03.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह, हे0का0 एहतेशाम, म0हे0का0 नन्दिनी।